न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 07/2018 अपील तकास्मा

1. रमशी पुत्र मांग्या जाति मीना निवासी ग्राम मिर्जापुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

अपीलान्ट

बनाम

1. हजारी पुत्र मोठ्या जाति मीना निवासी ग्राम मिर्जापुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार लालसोट जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा ग्राम मिर्जापुरा तहसील लालसोट जिला दौसा की आराजी भूमि खसरा नम्बर 95 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा की दिनांक 04.01.2008 को किये गये विभाजन/तकास्मा के सम्बन्ध में।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री कमलेश कुमार सैनी अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता उप0।

–: निर्णय :–

दिनांकः 10.07.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम मिर्जापुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में मिन अपीलांट के पिता मृतक मांग्या पुत्र घासी व रेस्पोडेन्ट नं01 की संयुक्त कब्जेकाश्त व सह–खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 95 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा स्थित रही है। उक्त आराजी भूमि में मिन अपीलांट के पिता मृतक मांग्या पुत्र घासी का 1/3 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट नं0 1 का 2/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड रहा है। मिन अपीलांट के पिता मृतक मांग्या पुत्र घासी व रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने उपरोक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की आराजी भूमि के सहमतिपूर्ण तरीके से विधिवत विभाजन/तकास्मा कराने हेतु एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त तकास्ता सहमतिपूर्ण तरीके से कराने में आपसी सहमति इस बाबत बनी थी कि उक्त भूमि के दक्षिण दिशा की तरफ स्थित रास्ते के लगते हुए भूमि रेस्पोडेन्ट नं0 1 की होगी तथा पीछे की भूमि अपीलांट के पिता मृतक मांग्या की होगी। लेकिन रेस्पोडेन्ट नं0 1 का रास्ते के लगते हुए अपनी भूमि में से पीछे स्थित अपीलांट के पिता के हिस्से की भूमि में आने जाने के लिए अपनी भूमि में पूर्व दिशा की सीमा के लगते हुए एक रास्ता छोडना पडेगा। जिस पर उक्तानुसार सहमति होना व्यक्त करते हुए एवं अपने प्रभाव में लेकर रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने आवेदन पत्र पर मिन अपीलांट के पिता मांग्या पुत्र घासी के अंगूठा निशानी करवाते हुए सहमतिपूर्ण विभाजन हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जिस पर निर्णय दिनांक 04.1.2008 से मिन अपीलांट के पिता व उनके साथ अपीलांट व परिवार के लोग हिस्सेनुसार बने नये खसरा नम्बर 95/1 पर व रेस्पोडेन्ट नं0 1 नये बने खसरा नम्बर 95/2 पर काबिज काश्त होकर अपने हिस्से की भूमि का उपयोग

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

उपभोग करते आ रहे हैं तथा अपीलांट व उसके परिवारजन कुरेजात में डोटेड लाईन से दर्शाये गये रास्ते को मुख्य रास्ते से अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 95/1 में आने–जाने के लिए विभाजन के पश्चात से बिना किसी बाधा के उपयोग करते चले आ रहे हैं। विभाजन के निर्णय को कई वर्ष गुजर गये एवं इधर मिन अपीलांट के पिता मांग्य का भी देहान्त हो गया। किन्तु रेस्पोडेन्ट नं0 1 व उसके परिवारजन ने मिन अपीलांट व उसके परिवारजन को रास्ते में होकर आने जाने से रोक दिया जाने पर एवं रास्ते को अपनी भूमि में मिला कर काश्त करने तथा तकास्मे में कोई रास्ता नहीं छोडा जाना कहने पर अपीलांट द्वारा उक्त तकास्का की पत्रावली की नकल लेने पर अपीलांट के अधिवक्ता ने बताया कि कुरेजात तो उपरोक्त सहमति अनुसार ही बनाया गया है किन्तु तकास्मा में रास्ते का कोई रकबा दर्शित नहीं किया है। तब इस बात की जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा साजिशपूर्ण तरीके से तकास्मे में रास्ते का कोई रकबा अलग नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में मिन अपीलांट को तकास्मा निर्णय दिनांक 04.1.2008 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी आवश्यक हुई। इसलिये अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गई। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट नं0 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ। अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की ग्राम मिर्जापुरा तहसील लालसोट जिला दौसा स्थित संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 95 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा मिन अपीलांट के पिता मृतक मांग्या पुत्र घासी हिस्सा 1/3 व रेस्पोडेन्ट नं01 हिस्सा 2/3 की संयुक्त कब्जेकाश्त व सह–खातेदारी की भूमि रही है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने उपरोक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की आराजी भूमि के सहमतिपूर्ण तरीके से विधिवत विभाजन/तकास्मा कराने हेतु एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त तकास्ता सहमतिपूर्ण तरीके से कराने में आपसी सहमति इस बाबत बनी थी कि उक्त भूमि के दक्षिण दिशा की तरफ स्थित रास्ते के लगते हुए भूमि रेस्पोडेन्ट नं0 1 की होगी तथा पीछे की भूमि अपीलांट के पिता मृतक मांग्या की होगी। लेकिन रेस्पोडेन्ट नं0 1 का रास्ते के लगते हुए अपनी भूमि में से पीछे स्थित अपीलांट के पिता के हिस्से की भूमि में आने जाने के लिए अपनी भूमि में पूर्व दिशा की सीमा के लगते हुए एक रास्ता छोडना पडेगा। मिन अपीलांट के पिता मांग्या पुत्र घासी अनपढ काश्तकार पेशा व्यक्ति थे। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अपने प्रभाव में लेकर मिन अपीलांट के पिता मांग्या से आवेदन पत्र पर अंगूठा लगवाकर तकास्मा हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार लालसोट के समक्ष पेश कर दिया। जिस पर निर्णय दिनांक 04.1.2008 से मिन अपीलांट के पिता व उनके साथ अपीलांट व परिवार के लोग हिस्सेनुसार बने नये खसरा नम्बर 95/1 पर व रेस्पोडेन्ट नं0 1 नये बने खसरा नम्बर 95/2 पर काबिज काश्त होकर अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं तथा अपीलांट व उसके परिवारजन कुरेजात में डोटेड लाईन से दर्शाये गये रास्ते को मुख्य रास्ते से अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 95/1 में आने–जाने के लिए विभाजन के पश्चात से बिना किसी

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

बाधा के उपयोग करते चले आ रहे हैं। विभाजन के निर्णय को कई वर्ष गुजर गये एवं इधर मिन अपीलांट के पिता मांग्य का भी देहान्त हो गया। किन्तु रेस्पोडेन्ट नं0 1 व उसके परिवारजन ने मिन अपीलांट व उसके परिवारजन को रास्ते में होकर आने जाने से रोक दिया जाने पर एवं रास्ते को अपनी भूमि में मिला कर काश्त करने तथा तकास्मे में कोई रास्ता नहीं छोडा जाना कहने पर अपीलांट द्वारा उक्त तकास्का की पत्रावली की नकल ली गई। जिसमें यह मालूम हुआ कि कुरेजात तो उपरोक्त सहमति अनुसार ही बनाया गया है किन्तु तकास्मा में रास्ते का कोई रकबा दर्शित नहीं किया है। इस प्रकार उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का आपसी सहमति अनुसार तकास्मा विधिवत नहीं होने से तकास्मा निर्णय दिनांक 04.1.2008 को निरस्त किया जाकर खातेदारान की सहमति अनुसार रास्ते का खसरा नम्बर व रकबा अंकित करने के आदेश फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब बहस के दौरान निवेदन किया गया कि तकास्मा निर्णय दिनांक 4.1.2008 को पारित किया गया है। उक्त निर्णय की अपील 10 वर्ष पश्चात की गई है। अपील विलम्ब से पेश किये जाने का कोई उचित कारण व्यक्त नहीं किया गया है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत संयुक्त खातेदारी भूमि के आपसी सहमति से तकास्मा होने पर सहमति अनुसार अपीलांट के आने–जाने हेतु छोड़े गये रास्ते के पृथक से खसरा नम्बर एवं रकबा अंकित नहीं किये गये। इसलिये प्रकरण तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रश्नगत संयुक्त खातेदारी भूमि के तकास्मा हेतु बनाये गये कुरेजात का अवलोकन कर सह–खातेदारान की सहमति अनुसार अपीलांट एवं उसके परिवारजन को मुख्य रास्ते पर आवागमन हेतु छोडे गये रास्ते के रकबे एवं खसरा नम्बर का निर्धारण हेतु विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 10.7.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official